Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 25, 2012
(BHADRA. 3, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2012

No. 32—HLA of 2012/60.—The Pubjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 32—HLA of 2012

THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows : —

1. This Act may be called the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Act, 2012. Short title

2. The Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (hereinafter called the Principal Act), without prejudice to any other mode of citation, be cited for all purposes by the short title "the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961". Citation of Punjab Act 23 of 1961

Amendment of section 1 of Punjab Act 23 of 1961.

3. In sub-section (1) of section 1 of the principal Act,—

(i) for the word "Punjab", the word "Haryana" shall be substituted, and

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) It shall extend to the State of Haryana.".

Amendment of section 2 of Punjab Act 23 of 1961

4. In section 2 of the Principal Act,—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

'(b) "Board" means the Haryana State Agricultural Marketing Board established under the Act;';

(ii) after clause (dd), the following clause shall be inserted, namely:—

'(de) "consumer's market" means a market notified under section 7, where retail sale of agriculture produce is made especially to consumer, not exceeding quantities, as may be prescribed;';

(iii) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:—

'(ga) "farmer's market" means a market notified under section 7, where the farmer himself acts as retailer and where retail sale of agricultural produce is made to the consumer, not exceeding quantities, as may be prescribed;';

(iv) after clause (ia), the following clause shall be inserted, namely:—

'(ib) "market of national or international importance" means a market notified under section 7 for the purpose of trading in agricultural or horticultural produce from more than one State of the Union or outside the country;';

(v) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:—

'(la) "person" means an individual, registered firm, company, society, association of persons, body of individuals, agency or any other legal entity which may sue and be sued in the eyes of law;';

(vi) after clause (r), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(ra) "special commodity market" means a market notified under section 7 for the purchase and sale of particular agricultural produce, as may be specified, from time to time, by a general or special order;

(rb) "special market" means a market notified under section 7 for the purchase of horticultural produce and other commercial

specified crops sourced from the State of Haryana or from anywhere else in the country or outside the country;

(rc) "spot exchange" means a place where notified agricultural produce is traded, in which billing, booking, contracting, negotiating, information exchange, record keeping and other connected activities are done through e-trading by licensee;

(rd) "terminal market" means a market notified under section 7 where facilities are provided for attracting the produce from national and international level to encourage bulk purchase, export etc.;'.

5. For section 7 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Amendment of section 7 of Punjab Act 23 of 1961

"7. **Declaration of market yards etc.-** (1) For each notified market area, there shall be one principal market yard, one or more sub-market yards, consumer's market, farmer's market, market of national or international importance, special commodity market, special market, spot exchange or terminal market, as may be necessary.

(2) The State Government may, by notification, declare any enclosure, building or locality in any notified market area to be one principal market yard for the area and other enclosure, building or locality to be one or more sub-market yards, consumer's market, farmer's market, market of national or international importance, special commodity market, special market, spot exchange or terminal market, for the area.".

6. In section 8 of the Principal Act,— Amendment of section 8 of Punjab Act 23 of 1961.

(I) in sub-section (1),—

(a) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(b) the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that a licensee may apply for licence to be operative in one or more Market Committee or for the entire State, on payment of such fee, as may be prescribed :

Provided further that the licensee shall have to comply with provisions of other Central and State Acts and obtain permission or licence etc. from the competent authority for carrying out national or international trade by way of import or export of any agricultural or horticultural produce or product.".

(II) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) From the date on which the State Government has, by a notification under section 7, declared any place to be principal market yard, sub- market yard, consumer's market, farmer's market, market of national or international importance, special commodity market, special market, spot exchange or terminal market, no person, Municipal Committee, Panchayat, Panchayat Samiti or any other local authority, notwithstanding anything contained in sub-section (1) or in any enactment relating to such Municipal Committee, Panchayat Samiti, Panchayat or local authority, shall be competent to set up, establish or continue or allow to be continued any place within a distance of five kilometers from the outer limits of such market yard for the purchase or sale of any agricultural produce:

Provided that nothing herein contained shall apply to the sale of agricultural produce stored in a cold-storage or processed and kept in a factory.".

Insertion of section 8B in Punjab Act 23 of 1961

7. After section 8A of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"**8B. Establishment of collection centre.**-The Chief Administrator may, from time to time, specify particular area or location or premises in notified area of any Market Committee as a dedicated collection centre for horticultural produce and other commercial crops, as may be notified by the State Government, from time to time. Further, the Chief Administrator may grant a licence on terms and conditions, as may be prescribed from time to time to any person, as may be found appropriate after examination of their credentials for purchase of horticultural produce and other such crops directly from farmers in such collection centre:

Provided that such licensee shall be at liberty to conduct onward transaction of horticultural produce and other such crops, in retail, wholesale or by transfer, as the case may be:

Provided further that the Chief Administrator may allow any person including a licence holder to provide facilities such as processing, packaging, sorting, grading, storage, sale and export of the produce and refrigeration in Public Private Partnership (PPP) mode or otherwise by charging appropriate user charges along with such fee, security and other terms and conditions, as may be prescribed, from time to time.

8C. Establishment of spot exchange.- (1) No person shall establish and run a spot exchange for trading in notified agricultural produce without obtaining a licence under this section, which shall be granted by the Chief Administrator, subject to such conditions, fee and security, as may be prescribed.

(2) The licensee shall---

(i) have online trading and clearing system with national reach;

(ii) ensure efficient clearing, settlement and guarantee system;

(iii) ensure transparency in operations and decision making related to entire operations;

(iv) provide for delivery of defined commodities backed by warehouse receipt system.

(3) The licensee shall provide the following services, namely:--

(a) electronic spot trading facility for notified agricultural or horticultural produce;

(b) grading, quality certification and standardization of commodities;

(c) facilitating collateral financing and borrowing against warehouse receipts;

(d) customized service relating to storage, transportation, logistics, handling and shipment; and

(e) procurement and disposal of commodities through online trading system.

(4) The licensee may collect fees and/or annual subscriptions etc. relating to membership for Very Small Aperture Terminal (VSAT) from the members:

Provided that the State Government may, prescribe the fee or annual subscription to be charged from the member.

(5) The terms and conditions relating to trading, delivery, clearing and settlement of agricultural produce or horticultural produce, shall be such, as may be prescribed.

(6) The licensee shall furnish guarantee of performance of all contracts executed on the spot exchange platform. For this purpose, the licensee shall maintain a settlement guarantee fund. Notwithstanding any default of any member, the licensee shall be responsible for collection and payment to the sellers within a prescribed time.

(7) The licensee shall maintain accounts of all transactions on electronic platform and submit such periodical reports and returns to the Chief Administrator or to any other officer authorized by him in this behalf, at such time and in such forms, as may be specified by the Chief Administrator, from time to time.

(8) In case of any dispute with regard to any transaction, the redressal thereof shall be done at the spot exchange level by the concerned District Marketing Enforcement Officer, who shall dispose off the matter within fifteen days. Any person aggrieved with such order, may file an appeal before the Chief Administrator within a period of thirty days, from the date of passing of order.

(9) The Chief Administrator, for the reasons to be recorded in writing, may suspend or cancel the licence in case of violation of any of the provisions of this Act.".

Amendment of section 26 of Punjab Act 23 of 1961

8. After clause (i) of section 26, the following clause shall be inserted, namely:—

"(ia) execution of market extension activities through Public Private Partnership;".

Amendment of section 28 of Punjab Act 23 of 1961.

9. After clause (i) of section 28, the following clause shall be inserted, namely:—

"(ia) execution of market extension activities through Public Private Partnership;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a fundamental objective of facilitating remunerative prices for agricultural and horticultural produce and protecting the interest of the farmers, the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 lays down a legal framework for trade of agricultural and horticultural produce and for establishment and superintendence of agricultural market yards and management of related infrastructure in the State.

With a view to harmonizing the Agricultural Produce Markets Act in various States of the Union and in order to introduce several reforms that are expected to enhance accessibility of farmers to national and international markets for improved remunerative prices, Government of India in Ministry of Agriculture circulated a Model State Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2003 which has several suggestions for adoption by the States of the Union in their respective Acts. In order to pursue and build consensus for these reforms, Government of India constituted a Committee of State Ministers of Agricultural Marketing. Consequently, these reforms were deliberated upon in several meetings of this Committee and in other forums. The Government, after careful consideration of these reforms, is now seeking adoption of some of these provisions which have been found suitable for adoption in the Agricultural Produce Marketing Act for the State of Haryana.

These provisions include establishment of collection centres to facilitate direct purchase of horticulture produce from farmers, provision of primary processing facilities such as grading, packaging and storage in these collection centres and market yards in Public Private Partnership Mode and establishment of markets of National importance/Terminal markets. The proposed amendments also seek to facilitate establishment of electronics spot exchanges in order to improve farmers' access to national and international markets and enhance remunerative prices.

Through these amendments, the Government is also seeking to change the nomenclature of the Act from the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 to the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961.

PARAMVIR SINGH,
Agriculture Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 25th August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The amendments proposed in the Bill empower the State Government to appropriately enforce the Act in order to improve the efficiency and efficacy of the Agricultural Marketing Infrastructure in the State so that farmers can get remunerative and competitive prices for their agricultural and horticultural produce and improve the functioning of the Haryana State Agricultural Marketing Board/Market Committees. This delegation of powers to the executive is of normal character and is necessary to carry out the purposes of the Act.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 32-एच० एल० ए०

पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2012

पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), प्रोद्भूत के किसी अन्य ढंग पर [illegible] बिना, हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 संक्षिप्त नाम से सभी प्रयोजनों के लिए उल्लेखित होगा; 1961 के पंजाब अधिनियम 23 का [illegible]करण।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में 1961 के पंजाब अधिनियम 23 की धारा 1 का संशोधन

(i) "पंजाब" शब्द के स्थान पर "हरियाणा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(2) इसका विस्तार हरियाणा राज्य में होगा।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,-- 1961 के पंजाब अधिनियम 23 की धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ख) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ;';

(ii) खण्ड (घघ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :-

'(घङ) "उपभोक्ता मण्डी" से अभिप्राय है, धारा 7 के अधीन अधिसूचित मण्डी, जहां उपभोक्ता को विशेष रूप से यथा विहित मात्राओं से अनधिक कृषि उपज का खुदरा विक्रय किया जाता है ;';

(iii) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

'(छक) "किसान मण्डी" से अभिप्राय है, धारा 7 के अधीन अधिसूचित मण्डी, जहां किसान स्वयं परचूनीए के रूप में कार्य करता है और जहां उपभोक्ता को यथा विहित मात्राओं से अनधिक कृषि उपज का खुदरा विक्रय किया जाता है ;',

(iv) खण्ड (झक) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

'(झख) "राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की मण्डी" से अभिप्राय है, संघ के एक से अधिक राज्य से या देश से बाहर कृषि या बागवानी उपज में व्यापार के प्रयोजन के लिए धारा 7 के अधीन अधिसूचित मण्डी;';

(v) खण्ड (ठ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

'(ठक) "व्यक्ति" से अभिप्राय है, कोई वैयक्तिक, रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, सोसाइटी, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, अभिकरण या कोई अन्य विधिक अस्तित्व जो विधि की दृष्टि में वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा ;',

(vi) खण्ड (द) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

'(दक) "विशेष वस्तु मण्डी" से अभिप्राय है, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समय–समय पर, यथा विनिर्दिष्ट विशेष कृषि उपज के क्रय तथा विक्रय के लिए धारा 7 के अधीन अधिसूचित मण्डी;

(दख) "विशेष मण्डी" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य से या देश में कहीं से भी या देश से बाहर बागवानी उपज तथा अन्य वाणिज्यिक विनिर्दिष्ट फसल स्रोतों के क्रय के लिए धारा 7 के अधीन अधिसूचित मण्डी ;

(दग) "स्थल विनिमय" से अभिप्राय है, स्थान जहां अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार किया जाता है, जिसमें बिलिंग, बुकिंग, संविदा, मोल–तोल, सूचना विनिमय, रिकार्ड रखने तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ई–व्यापार द्वारा की जाती हैं ;

(दघ) "टर्मिनल मण्डी" से अभिप्राय है, धारा 7 के अधीन अधिसूचित मण्डी जहां अधिकांश क्रय, निर्यात इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से उपज को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ;'।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् : 1961 के पंजाब अधिनियम 23 की धारा 7 का संशोधन।

"**7. मण्डी प्रांगणों इत्यादि की घोषणा.**-(1) प्रत्येक अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिए, एक मुख्य मण्डी प्रांगण, एक या अधिक उप मण्डी प्रांगण, उपभोक्ता मण्डी, किसान मण्डी, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की मण्डी, विशेष वस्तु मण्डी, विशेष मण्डी, स्थल विनिमय या टर्मिनल मण्डी, जो भी आवश्यक हो, होगी ;

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में किसी घेरे, निर्माण या परिक्षेत्र को उस क्षेत्र के लिए एक मुख्य मण्डी प्रांगण के रूप में तथा अन्य घेरे, निर्माण या परिक्षेत्र को उस क्षेत्र के लिए एक या अधिक उप-मण्डी प्रांगण, उपभोक्ता मण्डी, किसान मण्डी, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की मण्डी, विशेष वस्तु मण्डी, विशेष मण्डी, स्थल विनिमय या टर्मिनल मण्डी के रूप में घोषित कर सकती है।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में, – 1961 के पंजाब अधिनियम 23 की धारा 8 का संशोधन।

(I) उपधारा (1) में,-

(क) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जायेगा ; तथा

(ख) निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु कोई अनुज्ञप्तिधारी, यथा विहित, ऐसी फीस के भुगतान पर एक या अधिक मण्डी समिति में या सम्पूर्ण राज्य के लिए अनुज्ञप्ति को प्रभावी बनाने के लिए आवेदन कर सकता है :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी को अन्य केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों के उपबन्धों का पालन करना होगा तथा किसी कृषि या बागवानी उपज या उत्पाद के आयात या निर्यात के रूप में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति या अनुज्ञप्ति इत्यादि प्राप्त करनी होगी ।"।

(II) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"(2) ऐसी तिथि से जिसको राज्य सरकार ने, धारा 7 के अधीन अधिसूचना द्वारा, किसी स्थान को मुख्य मण्डी प्रांगण, उप- मण्डी प्रांगण, उपभोक्ता मण्डी, किसान मण्डी, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की मण्डी, विशेष वस्तु मण्डी, विशेष मण्डी, स्थल विनिमय या टर्मिनल मण्डी के रूप में घोषित किया है, उपधारा (1) में या ऐसी नगरपालिका समिति, पंचायत समिति, पंचायत अथवा स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित किसी अधिनियमिति में दी गई किसी बात

के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका समिति, पंचायत, पंचायत समिति या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण किसी कृषि उपज के क्रय या विक्रय के लिए ऐसे मण्डी प्रांगण की बाहरी सीमाओं से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान को बनाने, स्थापित करने या इस रूप में जारी रखने या जारी रखने के लिए अनुज्ञात करने हेतु सक्षम नहीं होगा :

परन्तु इसमें दी गई कोई भी बात किसी शीतागार में भण्डार की गई या किसी कारखाने में प्रसंस्कृत तथा रखी गई कृषि उपज के विक्रय को लागू नहीं होगी ।"।

1961 के पंजाब अधिनियम 23 में धारा 8ख का रखा जाना।

7. मूल अधिनियम की धारा 8क के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"**8ख. संग्रहण केन्द्र की स्थापना.**— मुख्य प्रशासक, समय-समय पर, किसी मण्डी समिति के अधिसूचित क्षेत्र में विशेष क्षेत्र या अवस्थिति या परिसरों को समर्पित संग्रहण केन्द्र के रूप में, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बागवानी उपज और वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिसूचित किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकता है, आगे, मुख्य प्रशासक किसी व्यक्ति को, जो ऐसे संग्रहण केन्द्र में किसानों से प्रत्यक्ष रूप में बागवानी उपज तथा अन्य ऐसी फसलों के क्रय के लिए उनके प्रत्ययपत्रों की परीक्षा के बाद उचित पाए जाएं समय–समय पर, यथा विहित निबन्धनों तथा शर्तों पर अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है :

परन्तु ऐसा अनुज्ञप्तिधारी बागवानी उपज तथा अन्य ऐसी फसलों का खुदरा में, थोक या अन्यथा द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, आगे सव्यवहार संचालन के लिए स्वतन्त्र होगा।

परन्तु यह और कि मुख्य प्रशासक अनुज्ञप्तिधारक सहित किसी व्यक्ति को सुविधाएं जैसे कि ऐसी फीस, प्रतिभूति सहित समुचित उपयोग प्रभारों को प्रभारित करते हुए तथा अन्य निबन्धन तथा शर्तें, जो समय–समय पर विहित की जाएं, द्वारा लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) ढंग अथवा अन्यथा से उपज के प्रसंस्करण, पैक, छंटाई, ग्रेडिंग, भण्डारण, विक्रय तथा निर्यात तथा प्रशीतन हेतु मुहैया कराने के लिए अनुज्ञात कर सकता है ।

8ग. स्थल विनिमय की स्थापना.— (1) कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, जो मुख्य प्रशासक द्वारा यथा विहित ऐसी शर्तों, फीस तथा प्रतिभूति के अध्यधीन प्रदान की जाएगी, को प्राप्त किए बिना अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार के लिए स्थल विनिमय न ही स्थापित करेगा तथा न ही चलायेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी –

(i) राष्ट्रीय पहुंच सहित ऑन लाइन व्यापार तथा समाशोधन प्रणाली रखेगा,

(ii) दक्ष समाशोधन, परिशोधन तथा गारंटी प्रणाली सुनिश्चित करेगा ;

(iii) प्रक्रियाओं तथा सम्पूर्ण प्रक्रियाओं से संबंधित निर्णय करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा ;

(iv) भाण्डागार प्राप्ति प्रणाली द्वारा पूर्व दिनांकित परिभाषित वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए व्यवस्था करेगा ;

(3) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करवाएगा, अर्थात् :–

(क) अधिसूचित कृषि या बागवानी उपज के लिए इलैक्ट्रॉनिक स्थल व्यापार सुविधा ;

(ख) वस्तुओं की ग्रेडिंग, क्वालिटी प्रमाणीकरण तथा मानकीकरण;

(ग) भाण्डागार प्राप्तियों के विरुद्ध संपार्श्विक वित्त तथा उधार को सुकर बनाने;

(घ) भण्डारण, परिवहन, संभार--तंत्र, व्यापार करने तथा नौपरिवहन से संबंधित कस्टमाईज्ड सर्विस ; तथा

(ङ) ऑन लाइन व्यापार प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं का प्रापण तथा निपटान।

(4) अनुज्ञप्तिधारी सदस्यों से वेरी स्माल अपरेचर टर्मिनल (वीएसएटी) के लिए सदस्यता से संबंधित फीस तथा/या वार्षिक अंशदान इत्यादि संग्रहण कर सकता है :

परन्तु राज्य सरकार सदस्य से प्रभारित की जानी वाली फीस या वार्षिक अंशदान विहित कर सकती है।

(5) कृषि उपज या बागवानी उपज के व्यापार, सुपुर्दगी, समाशोधन तथा परिशोधन से संबंधित निबन्धन तथा शर्तें, ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(6) अनुज्ञप्तिधारी स्थल विनिमय प्लेटफॉर्म पर निष्पादित सभी संविदाओं की अनुपालना की गारंटी प्रस्तुत करेगा। इस प्रयोजन के लिए, अनुज्ञप्तिधारी परिशोधन गारंटी निधि रखेगा। किसी सदस्य की कोई चूक होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी विहित समय के भीतर विक्रेताओं को संग्रहण तथा भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सभी संव्यवहारों के लेखे रखेगा तथा मुख्य प्रशासक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसी कालिक रिपोर्टें तथा विवरणियां ऐसे समय पर तथा ऐसे प्ररुपों में, जो मुख्य प्रशासक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं प्रस्तुत करेगा।

(8) किसी संव्यवहार के सबंध में किसी विवाद की दशा में, उसका निवारण सम्बद्ध जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा स्थल विनिमय स्तर पर किया जाएगा, जो पंद्रह दिन के भीतर मामले का निपटान करेगा। ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के पारित होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर मुख्य प्रशासक के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।

(9) मुख्य प्रशासक इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की उल्लंघना की दशा में, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकता है ;"।

1961 के पंजाब अधिनियम 23 की धारा 26 का संशोधन

8. धारा 26 के खण्ड (i) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iक) लोक निजी भागीदारी के माध्यम से मण्डी विस्तार क्रियाकलापों का निष्पादन ;"।

1961 के पंजाब अधिनियम 23 की धारा 28 का संशोधन।

9. धारा 28 के खण्ड (i) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(iक) लोक निजी भागीदारी के माध्यम से मण्डी विस्तार क्रियाकलापों का निष्पादन ,"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

किसानो के कृषि तथा बागवानी उत्पाद तथा उनके हितो के संरक्षण के लिए लाभकारी मूल्य को सुकर बनाने के मूल उद्देश्य से पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 राज्य में कृषि तथा बागवानी उत्पाद के व्यापार के लिए तथा कृषि मण्डी प्रांगण की स्थापना तथा अधीक्षण तथा सम्बन्धित अवसंरचना के प्रबन्धन के लिए विधिक ढांचा अधिकथित करता है।

संघ के विभिन्न राज्यो में कृषि उपज मण्डी अधिनियम को संगत करने की दृष्टि से तथा सुधारित लाभकारी मूल्यो के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में किसानों की प्राप्यता बढाने के लिए सम्भावित है, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार ने आदर्श राज्य कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2003 परिचालित किया है जिसमें संघ के राज्यों द्वारा उनके सम्बन्धित अधिनियमों में उसे अपनाने के लिए विभिन्न सुझाव हैं। इन सुधारों को खोजने तथा सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने कृषि विपणन के राज्य मन्त्रियों की एक समिति गठित की है। अतः, इन सुधारों को इस समिति की विभिन्न बैठकों में तथा अन्य जनसभाओं में विचारा गया था। इन सुधारों के सावधानीपूर्वक विचारण के बाद सरकार अब इन उपबन्धों में से कुछ को अपनाना चाहती है जो हरियाणा राज्य के लिए कृषि उपज विपणन अधिनियम में अपनाने के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।

ये उपबन्ध जिसमें किसानों से बागवानी उत्पाद की सीधी खरीद को सुकर बनाने के लिए संग्रहण केन्द्रों की स्थापना, प्राथमिक संसाधन सुविधाओं जैसे कि लोक निजी भागीदारी में इन संग्रहण केन्द्रों तथा मण्डी प्रागणों में ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा भण्डारण तथा राष्ट्रीय महत्व की मण्डी/टर्मिनल मण्डी की स्थापना की व्यवस्था शामिल है। प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में किसानों की पहुंच तथा लाभकारी मूल्यों को सुधारने के उद्देश्यों से इलैक्ट्रोनिक्स स्थल विनिमय की स्थापना को सुकर बनाने के लिए भी अन्वेषण करते हैं।

इन संशोधनों के माध्यम से सरकार अधिनियम की नामावली को पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 से हरियाणा राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में भी बदलना चाहती है।

परमवीर सिंह,
कृषि मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
25 अगस्त, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक मे प्रस्तावित संशोधन राज्य मे कृषि विपणन अवसंरचना की दक्षता तथा क्षमता सुधारने के उद्देश्य से अधिनियम को समुचित रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करते हैं ताकि किसान अपनी कृषि तथा बागवानी उत्पाद के लिए लाभकारी तथा प्रतियोगी मूल्य प्राप्त कर सकें तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल/मार्किट कमेटी के कार्यों में सुधार हो सके। कार्यकारी को शक्तियो का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है तथा अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है।